विज्ञापन संख्या– 01/2025

कार्यालय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीष, व्यवहार न्यायालय, हाजीपुर, वैशाली के अन्तर्गत नीचे वर्णित पद हेतु आवेदन–पत्र आमंत्रित किया जाता है। इच्छुक आवेदक स्व0 हस्तलिखित आवेदन–पत्र विहित प्रपत्र में ए4 कागज पर दो अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज फोटो आवेदन–पत्र पर चिपका कर अपने सभी शैक्षणिक/आचरण एवं आरक्षण संबंधी प्रमाण–पत्र की अभिप्रमाणित प्रति एवं एक स्व0 पता लिखा हुआ मो0 30 **(तीस)** रूपया का स्टाम्प लिफाफा संलग्न कर **प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर** को निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से इस प्रकार भेजें कि **विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 21 दिनों के अंदर** निश्चित रूप से कार्यालय अवधि तक पहुँच जाय। अधूरा/दोषपूर्ण एवं विलम्ब से पहुँचे आवेदन–पत्र को बिना कोई कारण बताये अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

पद का नाम :– अनुसेवी (पूर्ण तरह से अस्थायी)

शैक्षणिक योग्यता :– आवेदक को 10वीं पास होना आवश्यक है और हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषा में पढ़ने–लिखने का ज्ञान होना चाहिए।

अन्य योग्यता :– आवेदक को शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, ताकि वह कठिन कार्य का जिम्मा ले सके और साईकिल चलाने की जानकारी अवश्य होनी चाहिए।

पदो की संख्या :– 10 (दस) बिहार सरकार में लागू आरक्षण नियमों का पालन किया जायेगा।

मानदेय :– अकुशल श्रमिकों हेतु निर्धारित बिहार सरकार के पारिश्रमिक दर से भुगतान देय होगा, जो केवल कार्य दिवस के दिन का ही होगा। किसी भी प्रकार का सवैतनिक अवकाश देय नहीं होगा।

सामान्य अनुदेश

1. आवेदक भारत का नागरिक हो।
2. शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ हो।
3. अच्छे चरित्र का हो।
4. आयु सीमा :– बिहार सरकार, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प दिनांक 22.06.2006 के अनुसार अधिकतम आयुसीमा 1ली जनवरी, 2025 को निम्न प्रकार से होगी, जिसमें न्यूनतम् आयु 18 वर्ष से कम न हो तथा

   (क) अनारक्षित वर्ग (पुरूष) :– 37 वर्ष से अधिक नहीं
   (ख) पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (पुरूष एवं महिला) :– 40 वर्ष से अधिक नहीं
   (ग) अनारक्षित वर्ग (महिला) :– 40 वर्ष से अधिक नहीं
   (घ) अनुसूचित जाति/अनु0 जनजाति (पुरूष एवं महिला) :– 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

   यह बहाली पूरी तरह से अस्थायी होगी, जो अधिकतम एक वर्ष या अनुसेवी के नई नियुक्ति होने (जो पहले हो) तक के लिए मान्य होगा। चयनित अभ्यर्थी कभी भी स्थायी नियुक्ति हेतु दावा नहीं करेंगे तथा चयनित अभ्यर्थी सरकारी सेवक नहीं माने जायेंगे और सरकारी सेवक को अनुमान्य किसी भी सुविधा के वे हकदार नहीं होंगे। नियोजन के बाद सरकारी सेवा में नियमितीकरण का उनका कोई भी दावा नहीं बनेगा।
5. आरक्षण का लाभ केवल बिहार के स्थायी निवासी को ही मिलेगा और साक्षात्कार के समय मूल निवास प्रमाण–पत्र दिखाना होगा।
6. यदि किसी स्तर पर भी यह पाया जाता है कि आवेदक अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता नहीं रखता है या उनके द्वारा गलत सूचना दी गयी है या सही सूचना छिपाने की कोशिश की गयी है तो उनका आवेदन रद्द किया जा सकता है।
7. आवेदक यदि निबंधित हो तो नियोजनालय का नाम तथा नियोजन संख्या यदि कोई हो तो दे सकते हैं।
8. अंतिम तिथि के बाद या अधूरा या त्रुटिपूर्ण आवेदन स्वीकार नहीं होगा।
9. रिक्तियाँ आरक्षण एवं रोस्टर के नियमों द्वारा भरी जायेगी।
10. साक्षात्कार के लिए कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जायेगा।
11. आवेदक को यह उदघोषणा करनी होगी कि क्या उनके विरूद्ध कोई अपराधिक मामला लंबित है या नहीं? क्या आवेदक किसी आपराधिक मामले में दोषी पाये गये हैं? (यदि हाँ, तो पूर्ण विवरण दें)
12. भविष्य में यदि विज्ञापन में कोई संशोधन किया जाता है तो वह भी विज्ञापन का अंश माना जाएगा।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
वैशाली, हाजीपुर।

आवेदन–पत्र

आवेदित पद का नाम :–

आवेदन क्रमांक (केवल कार्यालय उपयोग हेतु) :– ....

पासपोर्ट साईज छायाचित्र राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित

1. आवेदक का नाम :–
2. पिता / पति का नाम :–
3. स्थाई पता :–
4. वर्तमान पता :–
5. शैक्षणिक योग्यता (प्रमाण–पत्र दाखिल करें) :–
6. अन्य योग्यता :–
7. उम्र दिनांक 01.01.2025 को :–
8. जन्म तिथि (प्रमाण–पत्र दाखिल करें) :–
9. क्या आवेदक अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग / शारीरिक रूप से विकलांग है :–
   (यदि हाँ तो सक्षम अधिकारी से प्राप्त प्रमाण–पत्र संलग्न करें)
10. नियोजनालय का नाम तथा पंजीकरण संख्या (यदि कोई हो) :–
11. क्या आवेदक सरकारी / अर्धसरकारी संस्था में कार्यरत है (पूर्ण विवरण दें) :–
12. क्या आवेदक भारतीय नागरिक है :–
13. क्या आवेदक शारीरिक रूप से स्वस्थ है :–
14. क्या आवेदक के विरूद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित है या नहीं तथा क्या वह किसी आपराधिक मामले में दोषी पाये गये हैं? (यदि हाँ तो पूर्ण विवरण दे) :–

उदघोषणा

मैं .... पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री .... उदघोषणा करता / करती हूँ कि मेरे विरूद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित है या नहीं है तथा मैं किसी आपराधिक मामले में दोषी पाया गया हूँ / नहीं पाया गया हूँ।

स्थान :–

दिनांकः–

आवेदक का हस्ताक्षर

उदघोषणा

मैं उदघोषणा करता / करती हूँ कि आवेदन–पत्र में दी गई सूचना तथा मेरे द्वारा दिये गये दस्तावेज सत्य हैं एवं किसी भी समय पाया जाय कि वह गलत है तब मेरा अभ्यर्थी का आवेदन निरस्त कर दिया जाये एवं मेरे विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई किया जाय।

स्थान :–

दिनांकः–

आवेदक का हस्ताक्षर